एम.डी. विश्वविद्यालय, रोहतक

बनाम

अजीत सिंह नांदल एवं अन्य

12 सितम्बर, 2007

[तरूण चटर्जी एवं पी. सतशिवम, जे.जे.,]

सेवा कानून:

एक कर्मचारी द्वारा धारण किया गया पद विश्वविद्यालय अधिसूचना द्वारा रिक्त घोषित- घोषणा एवं आज्ञापक व्यादेश का वाद अधिसूचना का अमान्य एवं शून्य होने का दावा करते हुए- विचारणीय न्यायालय द्वारा वाद खारिज कर दिया गया, परन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा डिक्री यह मानते हुए किया गया कि पद के रिक्त होने की घोषणा करना कर्मचारी को सेवा से हटाने के बराबर है एवं चूंकि सुसंगत नियमों की अनुपालना में कोई जांच नहीं की गई थी इसलिए बड़े जुर्माने का अधिरोपण बरकरार नहीं रखा जा सकता- विश्वविद्यालय की दूसरी अपील खारिज- माना गया कि तत्काल अपील पर विचार करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि कोई मामला नहीं बनता है, जिससे नियमित दूसरी अपील में पारित निर्णय में हस्तक्षेप किया जा सके- भारत का संविधान- अनुच्छेद 136

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: 2007 की सिविल अपील संख्या 4200

2005 की नियमित दूसरी अपील संख्या 1735 में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांकित 12.1.2006 से।

अपीलार्थी की ओर से एस. जनानी एवं निधेश गुप्ता।

उत्तरदाताओं के लिए रमेश के. हरिताश, डी.के. ठाकुर, कैलाश चन्द्र एवं प्रशांत भूषण।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया था:

आदेश

1. अनुमति दी गई।

2. यह अपील विशेष अनुमति द्वारा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय चण्डीगढ़ द्वारा 2005 की दूसरी नियमित अपील संख्या 1735 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांकित 12 जनवरी, 2006 के विरुद्ध दायर की गई है, जिसके तहत उच्च न्यायालय ने एम.डी. विश्वविद्यालय, रोहतक- यहां अपीलकर्ता द्वारा दायर नियमित द्वितीय अपील को खारिज कर दिया था- एवं अपीलीय न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की गई थी, जिसके विरुद्ध उक्त द्वितीय अपील अपीलकर्ता द्वारा दायर की गई थी।

3. इस अपील को जन्म देने वाले तथ्यों को संक्षेप में निम्नानुसार बताया जा सकता है:

4. अजीत सिंह नांदल द्वारा एक मुकदमा घोषणा एवं आज्ञापक व्यादेश के लिए दायर किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि अधिसूचना दिनांकित 29 जुलाई, 1997 जिसके द्वारा उनके द्वारा धारित पद को 15 जनवरी, 1996 से रिक्त घोषित किया गया था, अवैध एवं अमान्य एवं शून्य था। विरोध करने पर, मुकदमा विचारणीय न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था एवं प्रतिवादी अजीत सिंह नांदल द्वारा अपीलीय न्यायालय के समक्ष की गई अपील को अन्य बातों के साथ इस निष्कर्ष के साथ अनुमति दी गई थी कि अर्जीत सिंह नांदल को उनके कर्तव्य को पुनः 11 अक्टूबर, 1996 से शुरू करने की अनुमति एम.डी. विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार द्वारा बिना किसी शर्त के अधिरोपित किए अर्थात् कुलपति एम.डी. विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति की आवश्यकता एवं जैसा कि अजीत सिंह नांदल द्वारा धारित पद के रिक्त होने की घोषणा उन्हें सेवा से हटाने के बराबर थी एवं चूंकि नियमों के भाग II के खण्ड 2 (बी) की अनुपालना में कोई जांच नहीं की गई थी इसलिए पूर्वोक्त अधिरोपण किया गया प्रमुख जुर्माना बरकरार नहीं रखा जा सकता। उपरोक्त निष्कर्षों पर एम.डी. विश्वविद्यालय, रोहतक द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई नियमित दूसरी अपील को आक्षेपित

निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया था। यह अपील जिसके सम्बन्ध में पहले ही अनुमति दी जा चुकी है। नियमित दूसरी अपील को खारिज करने वाले उच्च न्यायालय के उपरोक्त फैसले से उत्पन्न हुई है।

5. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्रियों पर विचार करने के पश्चात् हमें इस अपील पर विचार करने का कोई कारण नहीं मिला, क्योंकि अपीलकर्ता हमें संतुष्ट करने में असफल रहा है कि जिन आधारों पर नियमित दूसरी अपील खारिज की गई थी, को किसी भी तरह से बरकरार रखे जाने योग्य नहीं होना, माना जा सकता हो। तद्नुसार हम अपील को खारिज करते हैं एवं उच्च न्यायालय के दूसरी अपील में पारित निर्णय की पुष्टि करते हैं। लागत के रूप में कोई आदेश नहीं होगा। अब यह प्रतिवादी के लिए खुला होगा कि वह कानून के अनुसार डिक्री को निष्पादित करने के लिए उनके द्वारा संस्थित किए गए निष्पादन मामले को आगे बढ़ाए।

आर.पी. अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मधु शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।